भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-211
उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

विद्यालय स्तर पर एकसमान शिक्षा

211. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 12वीं कक्षा तक विद्यालय स्तर की शिक्षा के राष्ट्रीयकरण द्वारा सभी बालकों के लिए एकसमान शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाया जाना प्रस्तावित है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की घोषणा 29 जुलाई, 2020 को की गई थी। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के पाँच मार्गदर्शक स्तंभों पर आधारित है। एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा में - "भारतीय लोकाचार में निहित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत, अर्थात् इंडिया को एक समतापरक और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है, इस तरह भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाती है" के जरिए व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। स्कूल शिक्षा के संदर्भ में एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना;
ii. 3-6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना;
iii. नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना (5 + 3 + 3 + 4);
iv. कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच बड़ा अंतर न करना;
v. राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान पर मिशन की स्थापना;
vi. बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर; कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उसके बाद तक, शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।;

vii. एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना;

viii. समान और समावेशी शिक्षा - सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष बल देना;

ix. वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग जेंडर समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करना;

x. शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रियाएं;

xi. व्यवसायपरक शिक्षा कार्यक्रमों का मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकरण;

xii. स्कूल परिसरों और क्लस्टर के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

xiii. राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना करना।

एनईपी 2020 में परिकल्पना की गई है कि स्कूल शिक्षा में मौजूदा 10+2 संरचना को 5+3+3+4 के नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन के साथ 3-18 वर्ष के आयु वर्ग को कवर करते हुए संशोधित किया जाएगा, तदनुसार, स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना तथा पाठ्यचर्या रूपरेखा 5+3+3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित होगी, जिसमें मूलभूत चरण (आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल के 3 वर्ष + कक्षा 1-2 में प्राथमिक स्कूल में 2 वर्ष; दोनों मिलकर 3-8 वर्ष के आयु वर्ग को कवर करेंगे), प्रारंभिक चरण (कक्षा 3-5, 8-11 वर्ष के आयु वर्ग को कवर करेंगे), मध्य चरण (कक्षा 6-8, 11-14 वर्ष के आयु वर्ग को कवर करेंगे) और माध्यमिक चरण (दो चरणों में कक्षा 9-12, अर्थात् पहले चरण में 9 और 10 एवं दूसरे चरण में 11 और 12, 14-18 वर्ष के आयु वर्ग को कवर करेंगे)।

इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा शुरू की गई हैं। ये भारत में 3-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहली बार एकीकृत पाठ्यचर्या रूपरेखा है और यह 5+3+3+4 'पाठ्यचर्या और शैक्षणिक' संरचना का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसे एनईपी 2020 ने स्कूल शिक्षा हेतु शुरू किया है। इन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाओं के आधार पर, कक्षा 1, 2, 3 और 6 के लिए पाठ्यपुस्तकें भी तैयार की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन करते हुए एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए, नीति के कार्यान्वयन के लिए कई पहलों और कार्यों की आवश्यकता है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, राज्य शिक्षा विभागों, बोर्डों, स्कूल शिक्षा के नियामक निकायों, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और स्कूलों सहित कई निकायों द्वारा समन्वित और व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है।
